Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में राज्य प्रदूषण मंडल का क्षेत्रीय अधिकारी 35 हजार रुपये व एन्वायरमेंट इंजिनियर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर के आवास पर पिछले दिनों की गई आकस्मिक चैंकिग में बरामद हुये थे करीब 40 लाख रुपये नगद**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 नवम्बर*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये हंसराम कसाना क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर को 35 हजार रुपये एवं राजेश सैनी जूनियर एनवायरमेंट इंजिनियर, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खनन कार्यों की अनुमति देने की एवज में हंसराम कसाना क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर द्वारा 35 हजार रुपये एवं राजेश सैनी जूनियर एनवायरमेंट इंजिनियर, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर द्वारा 10 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह एवं** उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये हंसराम कसाना पुत्र श्री एच.आर. कसाना निवासी ग्राम देवता लम्बरदार की ढ़ाणी, पुलिस थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुंनू हाल किरायेदार रणजीतनगर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर, जिंदल हॉस्पिटल के पास, भरतपुर हाल क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर को **35 हजार रुपये** एवं राजेश सैनी पुत्र श्री यादराम सैनी निवासी ग्राम पाखर, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल जूनियर एनवायरमेंट इंजिनियर, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हंसराज कसाना के पास तलाशी में 45 हजार रुपये भी अतिरिक्त बरामद किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी हंसराज कसाना क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण मंडल, भरतपुर द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर दिनांक 29–7–2021 को ए.सी.बी. द्वारा उसके कार्यालय पर आकस्मिक चैकिंग की गई थी, जिसमें उसके **जयपुर स्थित आवास से करीब 40 लाख रुपये से अधिक की नगदी बरामद** की गई थी, जिसका ए.सी.बी. द्वारा पृथक् से प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी, अजमेर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।